

The Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2014

Act 1 of 2015

Keyword(s):

Code of Criminal Procedure, Punishment, Crime, Criminal, IPC

Amendments appended: 1 of 2019, 1 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



राजस्थान राज—पत्र |RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 22, बुधवार, शाके 1936-फरवरी 11, 2015 Magha 22, Wednesday, Saka 1936-February 11, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II) **NOTIFICATION**

Jaipur, February 11, 2015

No. F. 2 (36) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 9th day of January, 2015 and is hereby published for general information:-

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2014 (Act No. 1 of 2015)

[Received the assent of the President on the 9th day of January, 2015]

An

Act

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2014.
 - (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. Amendment of section 29, Central Act No. 2 of 1974.- In the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in sub-section (2) of section 29, in its application to the State of Rajasthan, for the existing expression "ten thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप–2) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 11, 2015

संख्या प. 2 (36) विधि / 2 / 2014.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1)

[राष्ट्रपित महोदय की अनुमित दिनांक 9 जनवरी, 2015 को प्राप्त हुई] दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 - (2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 29 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 29 की उप-धारा (2) के राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

______2 राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, January 15, 2019

No. F. 2 (43) Vidhi/2/2017. The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 6^{th} day of November, 2018 and is hereby published for general information:

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2017 (Act No. 1 of 2019)

(Received the assent of the President on the 6th day of November, 2018)

An

Act

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2017.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall be deemed to have come into force on and from 10^{th} July, 2017.
- **2.** Amendment of section 9, Central Act No. 2 of 1974.-In section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (6) and before the existing explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Court of Session may hold, or the High Court may direct the Court of Session to hold its sitting in any particular case at any place in the sessions division, where it appears expedient to do so for considerations of internal security or public order, and in such cases, the consent of the prosecution and the accused shall not be necessary.".

- 3. Amendment of section 195, Central Act No. 2 of 1974.- In clause (a) of sub-section (1) of section 195 of the principal Act, for the existing expression "except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate", the expression "except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant, who is administratively subordinate to, and is authorized in writing by, the public servant concerned, or of some other public servant to whom the public servant concerned is administratively subordinate" shall be substituted.
- **4.** Amendment of section 273, Central Act No. 2 of 1974.- In section 273 of the principal Act, after the existing expression "shall be taken in the presence" and before the existing expression "of the accused", the expression ", whether physically or through the medium of audio-video electronic means," shall be inserted.
- **5.** Amendment of section 276, Central Act No. 2 of 1974.- In sub-section (1) of section 276 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that evidence of a witness under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means in the presence of the pleader of the accused.".

- **6.** Amendment of section 293, Central Act No. 2 of 1974.- In clause (e) of sub-section (4) of section 293 of the principal Act, after the existing expression "Director" and before the existing expression ", Deputy Director", the expression ", Additional Director" shall be inserted.
- **7. Amendment of section 313, Central Act No. 2 of 1974.-** In sub-section (1) of section 313 of the principal Act, after the existing proviso, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that when the accused is present through the medium of audio-video electronic means, he may, at the discretion of the court, be examined under this sub-section through such medium of audio-video electronic means.".

- **8. Repeal and savings.-** (1) The Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 2 of 2017) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

महावीर प्रसाद शर्मा] Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 15, 2019

संख्या प.2(43) विधि/2/2017:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2017 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2019)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अन्वाद)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 (2019 का अधिनियम संख्यांक 1)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 6 नवम्बर, 2018 को प्राप्त हु ई

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
 - (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

- (3) यह 10 ज्लाई, 2017 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- 2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 9 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में, विद्यमान उप-धारा (6) के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

"परन्तु सेशन न्यायालय, जहां उसे आंतरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के विचार से ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो या उच्च न्यायालय किसी विशेष मामले में सेशन खंड के किसी भी स्थान पर उसे बैठक करने का निदेश दे, बैठक कर सकेगा और ऐसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति आवश्यक नहीं होगी।"।

- 3. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 195 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 195 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, विदयमान अभिव्यक्ति "संज्ञान संबद्ध लोकसेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोकसेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "संज्ञान संबद्ध लोकसेवक के, या ऐसे अन्य लोकसेवक के, जो संबद्ध लोकसेवक के प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है और उसके दवारा लिखित में प्राधिकृत है या किसी अन्य ऐसे लोकसेवक के, जिसका संबद्ध लोकसेवक प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 4. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 273 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 273 में, विदयमान अभिव्यक्ति "अभियुक्त की उपस्थिति में" के पश्चात् और विदयमान अभिव्यक्ति "या जब उसे वैयक्तिक" के पूर्व, अभिव्यक्ति ", चाहे भौतिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से," अन्तःस्थापित की जायेगी।

5. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 276 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 276 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्त् इस उप-धारा के अधीन किसी साक्षी का साक्ष्य अभियुक्त के प्लीडर की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के दवारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।"।

- 6. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 293 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 293 की उप-धारा (4) के खण्ड (ङ) में, विदयमान अभिव्यक्ति "निदेशक" के पश्चात् और विदयमान अभिव्यक्ति ", उप-निदेशक" के पूर्व, अभिव्यक्ति ", अपर निदेशक" अन्त:स्थापित की जायेगी।
- 7. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 313 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 313 की उप-धारा (1) में, विदयमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्त् यह और कि जब अभियुक्त श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उपस्थित होता है, तब न्यायालय के विवेक पर, इस उप-धारा के अधीन ऐसे श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी परीक्षा की जा सकेगी।"।

- 8. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 2) इसके दवारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के दवारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम दवारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव।



राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 26, बुधवार, शाके 1944-फरवरी 15, 2023 Magha 26, Wednesday, Saka 1944-February 15, 2023

भाग-4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 15, 2023

No. F. 2(33)Vidhi/2/2021.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the President on the 1st day of February, 2023 is hereby published for general information:-

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2022

(Act No. 1 of 2023)

(Received the assent of the President on the 1st day of February, 2023)

An

Act

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title, extent and commencement.** (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2022.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- **2.** Amendment of section 293, Central Act No. 2 of 1974.- In clause (g) of subsection (4) of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in its application to the State of Rajasthan, after the existing expression "the Central Government" and before the existing expression, "for this purpose.", the expression "or the State Government" shall be inserted.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता, Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, 15 फरवरी, 2023

संख्या प.2(33)विधि/2/2021.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेण्डमेण्ट) एक्ट, 2022 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2023)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2022

(2023 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 फरवरी, 2023 को प्राप्त ह्ई)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
 - (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
 - (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 293 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के, राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, उसकी धारा 293 की उप-धारा (4) के खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा, अधिसूचना द्वारा" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राज्य सरकार" अन्तःस्थापित की जायेगी।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।